उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

सरफेसी एक्ट वाद संख्या–58/2021

एल०आई०सी० हाउसिंग फाईनेंस लि०

बनाम

सुरेश महतो वगै०

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख

25/02/2022

– आदेश –

अभिलेकख उपस्थापित। प्राधिकृत पदाधिकारी **एल०आई०सी० हाउसिंग फाईनेंस लि०** द्वारा द्वारा Under Section-14 of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 के तहत् ऋणकर्ता (1) Suresh Mahto, S/o-Punit Mahto, At-Mael, P.O-Chitarpur, P.S.-Rajrappa Project, Distt.-Ramgarh State-Jharkhand, Pin code-825210, (2) Lahru Munda (Guarantor), S/o-Karma Munda, At-Sevai Sidhukandu Nagar, P.O.-Ramgarh, Distt.-Ramgarh, State-Jharkhand के विरूद्ध गिरवी रखे गये सम्पति/भूमि निबंधन केवाला संख्या–2140, दिनांक–21.11.1998 से प्राप्त भूमि मौजा–मायल, थाना नं0–148, थाना–रामगढ़ (वर्त्तमान थाना–रजरप्पा प्रोजेक्ट) अंतर्गत खाता नं0–102, प्लॉट नं0–5106, कुल रकवा–10 डि0 भूमि, जिसकी चौहदी उ०–रास्ता, द०–डी०सी० महतो, पू०–चैता महतो एवं प०–रास्ता भूमि तथा भूमि पर बनी संरचना पर दखल कब्जा प्राप्त करने हेतु दायर आवेदन के आलोक में वाद की कार्रवाई प्रारंभ करते हुए ऋणकर्त्ता को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया तथा अंचल अधिकारी, चितरपुर से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया।

नोटिस प्राप्ति के उपरान्त ऋणकर्त्ता द्वारा लगातार अनुपस्थित रहने के कारण विद्वान सरकारी अधिवक्ता, रामगढ़ एवं प्राधिकृत पदाधिकारी एल०आई०सी० हाउसिंग फाईनेंस लि० द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में एकपक्षीय सुनवाई करते हुए आदेश पारित किया जा रहा है।

विद्वान सरकारी अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि Under sub-Section (2) of Section-13 of the SARFAESI Act, 2002 के तहत् बैंक के द्वारा नोटिस निर्गत किया गया है एवं बैंक के द्वारा ई–नीलामी बिक्रय सूचना प्रकाशन के फलस्वरूप सेक्युरिटाइजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाइनन्सियल एसेट्स एण्ड इनफोर्समेंट ऑफ सेक्युरिटी इन्ट्रेस्ट एक्ट, 2002 की धारा–14 के तहत् ऋणकर्ता से सम्बन्धित सम्पत्ति पर दखल कब्जा हेतु न्यायालय में अनुरोध किया गया है, जो विधिवत एवं न्याय–संगत है। ऋणकर्त्ता द्वारा समय (ऋण की राशि जमा करने हेतु निर्धारित समय, जो अस्पष्ट है) हेतु किये गये अनुरोध को खारिज करने एवं बैंक द्वारा दखल–कब्जा के सम्बन्ध में किये गये अनुरोध को स्वीकार करने योग्य तथा विधि–संगत है।

अंचल अधिकारी, चितरपुर द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि मौजा–मायल, खाता नं0–102, प्लॉट नं0–5106, कुल रकवा–10 डि0 भूमि सर्वे खतियान में गुलाम गोस, पिता–रोजन मियाँ के नाम से रैयती दर्ज है। उक्त भूमि की जमाबन्दी पंजी–II के पृष्ठ संख्या–49/11 में झुन्दिया देवी, पति–सुरेश महतो के नाम से कायम है तथा लगान रसीद वर्ष 2006–07 तक निर्गत की गई है। वर्त्तमान में उक्त भूमि में परती है।

निष्कर्ष :–

U/s-14 of the SARFAESI Act, 2002 के तहत् एल०आई०सी० हाउसिंग फाईनेंस लि० से प्राप्त आवेदन एवं अंचल अधिकारी, चितरपुर से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन का अवलोकन किया तथा विद्वान सरकारी अधिवक्ता, रामगढ़ का बहस सुना, स्पष्ट है कि :–

1. एल०आई०सी० हाउसिंग फाईनेंस लि० द्वारा पूर्व में ही Recall Notice Under section 13(2) of the securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act, 2002 के तहत् ऋणकर्त्ता को किया गया है। Bombay High Court Judgment in case of M/s Trade well & others V/s Indian Bank in Cr WP No.-2767 of 2006 clearly lays down as follows :- "In our opinion, at the time of passing order under section 14 of the NPA At, the CMM/DM will have to consider only two aspects, He must find out whether the secured asset falls within his territorial jurisdiction and whether notice under section 13(2) of NPA Act is given or not, No adjudication of any Kind is contemplated at that stage."

2. एल०आई०सी० हाउसिंग फाईनेंस लि० द्वारा समर्पित कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि ऋणकर्त्ता के द्वारा नोटिस प्राप्ति के उपरान्त ऋण की राशि वापस करने के संदर्भ में कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई है।

3. अंचल अधिकारी, चितरपुर से प्रश्नगत भूमि के संदर्भ में प्राप्त जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि, भूमि रैयती खाते की है। जमाबन्दी पंजी–II के पृष्ठ संख्या–49/11 में झुन्दिया देवी, पति–सुरेश महतो के नाम से कायम है तथा लगान रसीद वर्ष 2006–07 तक निर्गत की गई है।

आदेश :–

विद्वान सरकारी अधिवक्ता, रामगढ़ से प्राप्त मन्तव्य से सहमत होते हुए सरफेसी एक्ट–2002 की धारा–14 (1 एवं 2) में निहित प्रावधानों के तहत प्राधिकृत पदाधिकारी एल०आई०सी० हाउसिंग फाईनेंस लि० के द्वारा किये गये अनुरोध पर प्रश्नगत सम्पत्ति/भूमि एवं उस पर निर्मित संरचना (निबंधन केवाला संख्या–2140, दिनांक–21.11.1998 से प्राप्त भूमि मौजा–मायल, थाना नं0–148, थाना–रामगढ़ (वर्त्तमान थाना–रजरप्पा प्रोजेक्ट) अंतर्गत खाता नं0–102, प्लॉट नं0–5106, कुल रकवा–10 डि0 भूमि, जिसकी चौहदी उ०–रास्ता, द०–डी०सी० महतो, पू०–चैता महतो एवं प०–रास्ता) को जप्त कर दखल कब्जा प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित एल०आई०सी० हाउसिंग फाईनेंस लि० को अनुमति प्रदान की जाती है। उक्त कार्रवाई के क्रम में विधि–व्यवस्था संधारन हेतु अनुमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। इसी आदेश के साथ वाद की कार्रवाई बन्द की जाती है।

Digitally signed by madhvi mishra
Date: 2022.03.08 13:27:10 +05:30
Location: 192.168.0.8

लेखापित एवं संशोधित

माधवी मिश्रा
25.02.2022
उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी
रामगढ़।

माधवी मिश्रा
25.02.2022
उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी
रामगढ़।